कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांक एफ.7(24) 02-03/विभा.वृक्षा.का./प्रमुवसं/10401 दिनांक:31.3.04

परिपत्र

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ ( )2002/ते.प./स.मू./2290 दिनांक 18.11.2002 द्वारा गठित समिति की अभिशंषा अनुसार, विभिन्न वानिकी विकास कार्यो के मूल्यांकन की अवधि एवं मूल्यांकन के परिणाम के, स्थानीय प्राकृतिक, जैविक, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय प्रभावी कारकों के परिवेश में विश्लेषणोपरान्त विकास कार्यो की गुणवत्ता के निर्धारण के संबंध में, अब से पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या 348-79 दिनांक 8.2.80, पत्रांक एफ.22(2)86/ विकास/मुवसं/ 6848-6966 दिनांक 25.4.86 एवं पत्र कमांक एफ. 7(3)आ.प्र./व.सं./परि.मू.सू./90-91/2688-749 दिनांक 26.11.90 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों को अधिलंधित करते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते है :-

1. पौधारोपण के पश्चातवर्ती तीन वर्षो (अर्थात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष) में जीवितता प्रतिशत विस्तृत गणना द्वारा ज्ञात की जावेगी ।
2. प्रत्येक कार्य प्रभारी (वन रक्षक/सहायक वनपाल) एवं वनपाल द्वारा सम्मिलित रूप से, वृक्षारोपण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष के माह अप्रेल में पौधों की उप खण्डवार शत-प्रतिशत गणना कर, जीवितता प्रतिशत का आंकलन किया जावेगा । वृक्षारोपण गणना कार्य पूर्ण होते ही गणना प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को समय-समय पर प्रस्तुत करते रहेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को प्रस्तुत की जावेगी । कार्यप्रभारी अपने अधीन समस्त संबंधित वृक्षारोपण क्षेत्रों की गणना अप्रेल में ही पूर्ण करेंगे ।
3. कार्य प्रभारी एवं वनपाल से गणना प्रतिवेदन प्राप्ति के साथ ही (प्रत्येक गणना वर्ष के माह अप्रेल-मई में) संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्षो की, प्रत्येक कार्य स्थल की गणना के कमशः 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र में जांच करेंगे । गणना करने हेतु वृक्षारोपण क्षेत्र को उप खण्डों में विभाजित कर रैण्डम पद्धति से 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर उप खण्डो का चयन करेंगे । उप खण्डों का चयन करते समय क्षेत्र के ढलान व उपजाऊ क्षमता आदि को ध्यान रखते हुए सभी प्रकार के क्षेत्रों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाना सुनिश्चित करेगें । साथ ही उप खण्ड़ों का चुनाव पौधारोपण के घनत्व के अनुरूप करेंगे । यानि, जिस भाग में अधिक पौधे रोपित किये गये हों उनमें अधिक उप खण्ड चयनित किये जावें एवं जिन भागों में कम पौधे रोपित किये हों उन क्षेत्रों में लगभग उसी अनुपात में कम उप खण्ड चयनित किये जावें । कार्यस्थलों की जांच के एक सप्ताह में गणना रिपोर्ट कमवार समय समय पर वन मण्डल कार्यालय में इस प्रकार प्रस्तुत की जाती रहेगी कि, क्षेत्रीय स्तरीय समस्त प्रतिवेदन माह मई के अन्त तक मण्डल कार्यालय को प्रेषित कर दी जावे ।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने प्रतिवेदन में, जीवितता प्रतिशत को प्रभावित करने वाले मुख्य स्थानीय कारकों (Locality Factors) प्राकृतिक, जैविक आदि कारणों (यदि कोई हो) और वनस्पति संवर्धन/सुधार हेतु केज्युअल्टी-रिप्लेसमेन्ट/बीजारोपण/प्रूनिंग आदि सुधार कार्यो यदि आवश्यक हों तो, उनका उल्लेख करेंगे । इस प्रकार के आवश्यक कार्यो का सम्पादन वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को प्रेरित कर उनके सहयोग से, कार्य प्रभारित कर्मियों के माध्यम से एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर, करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।